अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

आपूर्ति पुनरीक्षण वाद संख्याः 509/2013

रामचन्द्र केशरी — पुनरीक्षणकर्त्ता

वनाम

राज्य — रेस्पोण्डेन्ट/विपक्षी

—:: आदेश ::—

प्रस्तुत अपील वाद पुनरीक्षणकर्त्ता द्वारा जिलाधिकारी, सहरसा द्वारा पारित आदेश दिनांकः 30.09.2013 ई0 अन्दर आपूर्ति अपील वाद संख्या 130/2012–13 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट के इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

प्रस्तुत पुनरीक्षण वाद में संक्षेप में मामला यह है कि दिनांक 09.12.11 को आयुक्त महोदय के जनता दरबार में बद्री केशरी एवं अन्य 20 उपभोक्ता द्वारा आवेदन दिया गया जिसे पत्रांक 954 दिनांक 09.12.11 द्वारा जॉच हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा को को भेजा गया वो अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा द्वारा परिवाद पत्र में अंकित तथ्यों की जॉच प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनवर्षा से करायी गयी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सोनवर्षा के पत्रांक 21–3 दिनांकः 11.01.12 से अपना जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया वो उक्त आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा के पत्रांक 229–2 दिनांक 21.01.12 द्वारा राम चन्द्र केशरी, जनवितरण प्रणाली विक्रेता सहसौल, सोनवर्षा से स्पष्टीकरण पूछा गया वो जन वितरण प्रणाली विक्रेता, सहरसा द्वारा दिनांक 29.06.12 को अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया वो अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा द्वारा आरोप की पुष्टि एवं कारण पृच्छा असंतोषजनक पाते हुए श्री केशरी की अनुज्ञप्ति संख्या 478/07 को ज्ञापांक 333–2 दिनांक 16.08.12 द्वारा तत्काल प्रभाव से रद्द की गई वो अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अपीलीय प्राधिकार जिला पदाधिकारी'–सह– समाहर्त्ता, सहरसा के न्यायालय में आपूर्ति अपील वाद संख्या 130/2012–13 दाखिल किया गया जिसमें निम्न न्यायालय द्वारा कठोरतम एवं दंडात्मक आदेश पारित करते हुए पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक को अपील वाद खारिज कर दिया गया जिसके विरूद्ध पुनरीक्षण वाद इस न्यायालय में दाखिल किया गया है।

पुनरीक्षणकर्त्ता/अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में कथन करते हैं कि संक्षेप में पुनरीक्षणकर्त्ता का वाद यह है कि पुनरीक्षणकर्त्ता पूर्व से जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्तिधारी विक्रेता है जिसे विभाग द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2001 के तहत अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह– अनुमण्डल पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा जन वितरण प्रणाली अन्तर्गत उचित मूल्य की दुकान ग्राम– सहसौल, प्रखंड/अंचलः सोनवर्षा, जिलाः सहरसा हेतु अनुज्ञप्ति संख्या 478/07 निर्गत किया गया वो अनुज्ञप्ति में वर्णित शर्त्तो, कर्त्तव्यो एवं उत्तरदायित्वों का अक्षरशः पालने करते हुए विभागीय दिशा एवं निदेशों के अनुरूप दुकान का संचालन करते चले आ

२६ ह।

पुनरीक्षणकर्त्ता/अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि कुछ दिन पूर्व से गंदी ग्रामीण राजनीति से प्रेरित होकर कुछ खास व्यक्तियों द्वारा गलत रूप से लाभ लेने के उद्देश्य से तंग तबाह व परेशान किये जाने लगा अन्तोगत्वा मुखिया के निजी व्यक्ति विपीन कुमार झा द्वारा 15 लीटर किरासन तेल व 01 क्विंटल गेहूँ व 5,000.00 रूपया प्रति माह देने का दबाव देने लगा व दिनांक 05.12.11 को दुकान पर आकर पुनरीक्षणकर्त्ता/अपीलार्थी को गाली गलौज कर आग्नेयास्त्र दिखा कर धमकी दिया गया कि डीलरशीप खत्म कर वो करवा देंगे, जिस संदर्भ में पुनरीक्षणकर्त्ता/अपीलार्थी द्वारा दिनांक 09.12.11 को बसनही थाना में आवेदन दिया, जिसके आलोक में बसनही थाना कांड संख्या 36/11 दर्ज किया गया।

जिसकी होने पर मुखिया एवं विपीन कुमार झा द्वारा योजनाबद्ध तरीके से प्रतिशोध की भावना से कुछ लाभुकों को बहला फुसलाकर व अपने प्रभाव में लाकर सरासर गलत व मनगढंत आरोप लगाकर आवेदन दिलाया गया जिस बात को भी पुनरीक्षणकर्त्ता/अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय के समक्ष रखा गया किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नजर अन्दाज कर आदेश पारित किया गया है।

पुनरीक्षणकर्त्ता/अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में यह भी कथन करते हैं कि पुनरीक्षणकर्त्ता/ अपीलार्थी एक गरीब परिवार के है व उसके जीविका का एक मात्र यही एक आधार है तथा पुनरीक्षणकर्त्ता/ अपीलार्थी भविष्य में कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देगें व अपने उपभोक्ता लाभुकों को अच्छी सेवा देने को तैयार हैं व विभागीय आदेश, दिशा एवं निदेशों का अक्षरशः पालन करने को तैयार है बतलाते हैं।

पुनरीक्षणकर्त्ता/अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के क्रम में आगे यह भी कथन करते हैं कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को अपास्त करते हुए पुनरीक्षण वाद को स्वीकृत कर अनुज्ञप्ति संख्या 478/07 को बहाल करने हेतु अनुतोष की मॉग किया गया है।

दूसरी ओर विशेष लोक अभियोजक बहस के क्रम में यह कथन करते हैं कि पुनरीक्षणीकर्त्ता पर लगाये गये सभी आरोप प्रमाणित है अतएवं निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को वे सही बतलाते हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकन से परिलक्षित होता है कि निम्न न्यायालय में पुनरीक्षणकर्त्ता/अपीलार्थी को अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त समय एवं मौका दिया गया तथा समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा मामले की विस्तृत सुनवाई कर विधिसम्मत एवं न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। अस्तु आपूर्ति पुनरीक्षण वाद खारिज। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा